संख्या–920 / पांच–6–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
साचीज,
(स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2020

विषय : अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड–19 जैसी महामारी से संक्रमित रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु शासन के चिकित्सा अनुभाग–5, द्वारा समय–समय पर विभिन्न निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को कोविड हास्पिटल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 के रोगियों का उपचार किया जाता है।

2. प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों में कोविड–19 से संक्रमित आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से भिन्न रोगियों के उपचार पर निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति इस हेतु आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) हेतु प्राविधानित बजट से किए जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3. कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित धनराशि का बिल / बाउचर सम्बन्धित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिनके द्वारा प्राप्त बिल / बाउचर का परीक्षण करने के उपरान्त भुगतान हेतु सत्यापित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को अग्रसारित किया जाएगा। सत्यापित बिल / बाउचर प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज द्वारा सम्बन्धित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को भुगतान किया जाएगा।

4. कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के नियम तथा दरों के आधार पर निम्न तालिकानुसार निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को की जाएगीः–

क0 संख्या	वार्ड स्थिति	प्रतिदिन प्रतिबेड दर
1.	जनरल वार्ड	रू. 1,800 / – (एक हजार आठ सौ रूपये मात्र)
2.	हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट	रू. 2,700 / – (दो हजार सात सौ रूपये मात्र)
3.	आई0सी0यू0 बिना वेन्टीलेटर	रू. 3,600 / – (तीन हजार छः सौ रूपये मात्र)
4.	आई0सी0यू0 वेन्टीलेटर सहित	रू. 4,500 / – (चार हजार पांच सौ रूपये मात्र)

–2–

5. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों के उपचार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्व की भॉति की जाती रहेगी।

6. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के लिए वित्तीय वर्ष 2020–2021 में प्राविधानित आय–व्ययक के सुसंगत मद/लेखाशीर्ष के नामे डाला जाएगा। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के लिए इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
19.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–920(1)/पांच–6–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/वित्त विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
5– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री/मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,
6– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8– निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9– सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
10– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
11– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
12– अपर निदेशक, (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
13– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
14– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
15– चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश, शासन,
16– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन,
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
19/6/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।